जुआ खेलते हुए 6 गिरफ्तार, नकदी व चार मोबाइल बरामद

श्रावस्ती 4 फरवरी (हि0टा0सं0)। थाना कोतवाली भिनगा की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम भंगहा बाजार में 06 व्यक्तियों को हार–जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मौके पर 740 नकद (माल फड) तथा अभियुक्तों की जामा तलाशी में 720 व 04 मोबाइल फोन बरामद किए गए। अभियुक्तगण को उनके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली भिनगा में मु0अ0सं0 047/2025 धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार जुआरियों में तौहीद पुत्र सरदार अली निवासी भंगहा बाजार थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती, अकील पुत्र सरदार अली निवासी भंगहा बाजार थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती, .मो0 हाशिम पुत्र मो0 नसीम निवासी भंगहा बाजार थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती आनन्द कुमार पुत्र छेदन निवासी गौडरा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती, ढोंगे उर्फ मेराज पुत्र रफीक निवासी भंगहा बाजार थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती , ललित पुत्र मुन्नालाल निवासी गौडरा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती के नाम शामिल हैं।

मारपीट के तीन दोषियों को पांच वर्ष की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी

श्रावस्ती। भिनगा के ग्राम अमवा के मजरा भवनियापुर में 12 वर्ष पूर्व मारपीट में गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी दो भाइयों सहित तीन को मंगलवार जिला जज ने दोषी करार दिया है। तीनों को पांच वर्ष की कैद व सात-सात हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।

भनिगा के भवनियापुर में 12 साल पहले हुई थी घटना

अदालत से

भवनियापुर निवासी जगजीवन प्रसाद वर्मा ने एक अप्रैल 2013 को भिनगा कोतवाली में तहरीर देकर कहा था कि उनके चाचा रामधीरज उनसे अलग रहते हैं। चाचा के तीन बेटे शेषराम, बच्चाराम और विनय कुमार उर्फ सुरेंद्र प्रताप हैं। पारिवारिक विवाद को लेकर बच्चा राम व विनय कुमार अपने बड़े भाई शेषराम से झगड़ा कर अपनी ससुराल छोटकाई डीह में परिवार सहित रहते हैं। इसी बात को लेकर एक अप्रैल शाम करीब साढ़े पांच बजे बच्चा राम व विनय कुमार ने अपने साले माखनलाल, दीवान, गोली व प्रभू के साथ मिलकर शेषराम पर हमला कर दिया। शेषराम, शिलाराम व गीता देवी को गंभीर चोटें आईं। मंगलवार को जिला जज राम मिलन सिंह ने बच्चा राम, विनय कुमार व गोली को दोषी मानते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

जुर्म स्वीकार करने पर कोर्ट ने सुनाई सजा

बहराइच। थाना खैरीघाट एकघरा गांव निवासी को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जुर्म स्वीकार करने पर सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को दो हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। थाना खैरीघाट के एकघरा निवासी सुरेश उर्फ कलूटे को थाना क्षेत्र के ग्राम धोबियाहार चौराहे पर महिला रामकली पर असलहे से फायर करने पर पुलिस ने 19 अप्रैल 2006 की भोर में गिरफ्तार किया था। मंगलवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार गौतम की कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार किया। कोर्ट ने अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई अवधि को सजा में परिवर्तित करने की सजा सुनाते हुए दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)

मारपीट में दो भाइयों पर जुर्माना

श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम परसिया राजा निवासी राधेश्याम व उसके भाई विजयपाल को 23 वर्ष पूर्व पुलिस ने मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में दोनों भाई जमानत पर जेल से बाहर आए थे। मंगलवार को मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सिविल जज अवर खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव द्विवेदी ने दोनों को जेल में बिताई अवधि की कैद व प्रत्येक को 1200 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। (संवाद)

नूरी बाबा मामले में कल होगी सुनवाई

: **श्रावस्ती।** नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार मल्हीपुर के लक्ष्मनपुर गंगापुर निवासी नूरी बाबा की ओर से जिला जज राम मिलन सिंह के न्यायालय में जमानत अर्जी दी गई थी। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी थी। अवकाश होने के कारण मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में अब अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। (संवाद)